

दि. 17/3/2018

जी.पी.एस. / अना

क्र. सं. 88, 188 RTI

17/3/2018

पञ्जाबली गेहा डेरी वकील कारी अनु.
वकील कारी का दौरे के मुताबिक न्यायालय
में दायर होने के लिए बार-बार आवे
लगावारे के बावजूद वेय का इतने इतिहास
कोई भी न्यायालय समय तक दायर नहीं
करे के न्यायालय द्वारा इतिहास विधायी
उक्त बार क्र. सं. 88, 188 RTI Act का
वकील कारी की अरम पैसी / अरम हाजिरी
में खारीज की जाती है। निम्न सरे इलाक
मुताबक उम्मा। पञ्जाबली उम्मा दुमाद लेनर
रम्बर के तम ही।

सहायक कलेक्टर

सिरोही (राज.)